

# छात्रों के लिए छात्रावास और परिसर नियम और विनियम



15 नवंबर, 2025 से लागू

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बरहमपुर

# भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बरहमपुर छात्रावास

आईआईएसईआर बरहमपुर में कैम्पस हॉस्टल की सुविधा है। छात्रावास आवास संस्थान के सभी पंजीकृत छात्रों के लिए उपलब्धता के अधीन है। बीएस-एमएस के छात्र आम तौर पर केवल सेमेस्टर के दौरान एक सीट / कमरे पर कब्जा कर लेंगे। कोई भी बीएस-एमएस छात्र छुट्टी की अवधि के दौरान एक कमरे में कब्जा नहीं करेगा (जैसा कि संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट है) जब तक कि उन्हें एक विशिष्ट अनुमति नहीं दी गई है। छात्रावास आवास, उपलब्धता के अधीन, एकीकृत पीएचडी और पीएचडी छात्रों को उनके कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान प्रदान किया जाएगा (एकीकृत पीएचडी के लिए सात साल और पीएचडी छात्रों के लिए पांच साल, या थीसिस जमा करने तक, जो भी पहले आता है)।

हॉस्टल आवास (यदि उपलब्ध हो) परियोजना कर्मचारियों (उदाहरण के लिए, परियोजना सहायक, परियोजना जेआरएफ, रिसर्च एसोसिएट आदि) और पोस्ट-डॉक्टरल अछलियों को सीमित अवधि के लिए प्रदान किया जा सकता है। यदि समायोजित किया जाता है, तो उन्हें छात्रावास प्रशासन द्वारा तय किए गए सभी लागू शुल्कों का भुगतान करना आवश्यक है। उन्हें उन्हीं नियमों और विनियमों का पालन करना होगा जो छात्रावास के नियमित बोर्डर्स पर लागू होते हैं, और वे अपने वेतन/वजीफा/फेलोशिप के एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) घटक के लिए पात्र नहीं होंगे।

छात्रों को हॉस्टल के कमरे या तो सिंगल ऑक्यूपेंसी या डबल-शेयर्ड ऑक्यूपेंसी में आवंटित किए जाते हैं। प्रथम वर्ष (बीएस-एमएस) के छात्रों को अनिवार्य रूप से डबल-साझा अधिभोग कक्षाओं में समायोजित किया जाता है, जबकि शेष बैचों को उपलब्धता के आधार पर समायोजित किया जाता है। कमरों का आवंटन और आवंटन की प्रक्रिया छात्रावास प्रशासन के विवेकाधिकार पर होगी।

छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को बुनियादी शिष्टाचार, अनुशासन, छात्रावास प्रशासन के निर्देशों और निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। इस दस्तावेज में मोटे तौर पर सभी छात्रावास, मेस और परिसर के नियमों, विनियमों, आदर्श आचार संहिताओं, शिकायत दर्ज करने और छात्र कल्याण से संबंधित कुछ समितियों के विवरण संकलित किए गए हैं। तथापि, छात्रावास प्रशासन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कोई अतिरिक्त अनुदेश जारी कर सकता है, जैसा कि बाद की तारीखों में आवश्यक समझा गया हो, जो छात्रावास में रहने वाले सभी लोगों के लिए बाध्यकारी भी होगा। इसके अलावा, अनुलग्नक-I में चिकित्सा सुविधाओं और शिकायत समितियों के बारे में जानकारी शामिल है। अनुलग्नक-II में विभिन्न प्रकार के छात्र अनुशासनहीनता और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की कार्यवाही (छात्र अनुशासनहीनता और अनुशासनात्मक समितियों के कार्य) के विवरण को सूचीबद्ध किया गया है।

इस दस्तावेज के दौरान, छात्रावास प्रशासन छात्रावास वार्डन, छात्र मामलों के एसोसिएट डीन (छात्रावास और मेस शुल्क के साथ), और छात्र मामलों के डीन को संदर्भित करता है।

## अ. छात्रावास नियम और विनियम

### एक. सामान्य अनुशासन और शिष्टाचार

छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर समय छात्रावासों में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखें। अनुशासनहीनता या अश्लील व्यवहार के किसी भी कार्य के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

**बर्बरता:** संस्थान की संपत्ति का विनाश या विरूपण, जैसे पोस्टर, लेखन, स्प्रे-पेंटिंग, या दीवार चार्किंग

चिपकाना, एक गंभीर अपराध है। सिवाय इसके कि  
वार्डन-अनुमोदित छात्रावास परिसर में इसके लिए निर्दिष्ट स्थान, जैसे

गतिविधियों को सख्त वर्जित किया गया है, और किसी भी उल्लंघन को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ माना जाएगा।

**क्षति की रिपोर्टिंग:** छात्रावास की संपत्ति को नुकसान की सूचना छात्रों द्वारा तुरंत वार्डन/केयरटेकर को दी जानी चाहिए। यदि कोई छात्र दोषी पाया जाता है, तो उसे छात्रावास प्रशासन द्वारा तय किए गए मरम्मत या प्रतिस्थापन की पूरी लागत वहन करनी होगी।

**नुकसान शुल्क:** हॉस्टल के निवासियों से उनके आवंटित हॉस्टल रूम और उसमें फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के लिए चार्ज किया जाएगा, सिवाय टूट-फूट के।

**पायरेसी:** पायरेटेड सॉफ्टवेयर, फिल्में, संगीत, किताबें, पत्रिकाएं आदि का उपयोग एक गंभीर अपराध है और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होने के अलावा कानून के तहत दंडनीय है।

**संस्थान की संपत्तियों का कब्जा:** प्रयोगशाला सामग्री और उपकरण (जैसे, कांच के बने पदार्थ, बीकर, फ्लास्क, पिपेट, थर्मामीटर आदि), उत्तर पुस्तिकाएं जैसे कब्जे (संस्थान की परीक्षाओं में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक उत्तर पुस्तिकाएं), अतिरिक्त छात्रावास फर्नीचर (जैसे, कुर्सियाँ, टेबल), आदि निषिद्ध हैं।

## दो. हॉस्टल एक्सेस

**लड़कों के हॉस्टल:** लड़कियों को दिन के किसी भी समय बॉयज हॉस्टल के कमरों में जाने की अनुमति नहीं है।

**गर्ल्स हॉस्टल:** लड़कों को दिन के किसी भी समय गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में जाने की अनुमति नहीं है।

**प्रवेश/निकास रजिस्टर:** प्रत्येक छात्रावास एक प्रवेश/निकास रजिस्टर रखता है। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के प्रवेश और निकास की मुख्य द्वार पर शाम 7:30 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच और हॉस्टल में रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच सख्त निगरानी की जाएगी। छात्रों को छात्रावास में सुरक्षा डेस्क और मुख्य द्वार पर प्रवेश/निकास रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होगा। छात्रों को अपने संस्थान के आईडी कार्ड ले जाने चाहिए और छात्रावास अधिकारियों या सुरक्षा कर्मचारियों के अनुरोध पर उन्हें प्रस्तुत करना होगा।

**देर रात पास:** यदि कोई छात्र देर रात के घंटों के दौरान परिसर में पहुंचने या छात्रावास से प्रस्थान करने में देर से (11:00 बजे से 6:00 बजे के बीच) होने की उम्मीद करता है, तो हॉस्टल वार्डन से एक लिखित या ईमेल अनुमोदन सुरक्षा डेस्क (परिसर के मुख्य द्वार के साथ-साथ छात्रावास प्रवेश द्वार) पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

18 वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को अपने माता-पिता की स्वीकृति पर वार्डन से बाहर जाने

की लिखित अनुमति लेनी चाहिए

दिन या रात के किसी भी समय बरहमपुर शहर से परे परिसर सहित।

### तीन. निषिद्ध गतिविधियाँ

**रैगिंग, हेजिंग और उत्पीड़न:** रैगिंग, हेजिंग, बदमाशी, यौन उत्पीड़न, और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार (शारीरिक, मौखिक, ऑनलाइन या अन्यथा) गंभीर अपराध हैं जो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकते हैं, और इसमें पंजीकरण की समाप्ति और संस्थान से निष्कासन भी शामिल हो सकता है।

**परिणाम:** अनुलग्नक I के रैगिंग-रोधी और यौन उत्पीड़न विरोधी अनुभागों का संदर्भ लें।

**धूम्रपान और तंबाकू का उपयोग:** छात्रावासों में धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों का उपयोग सख्त वर्जित है।

**परिणाम:** अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी II के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

**शराब और ड्रग्स:** मादक पेय, नशीले पदार्थों और अवैध दवाओं का रखना, वितरण और सेवन सख्त वर्जित है। नशे की हालत में हॉस्टल में प्रवेश करने या बोर्डिंग परिवहन के लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

**परिणाम:** अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी III के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

**मोटर वाहन:** छात्रों को संस्थान परिसर के अंदर मोटर वाहनों (जैसे, मोटरबाइक, स्कूटर, कार, आदि) को रखने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

**परिणाम:** उल्लंघन को अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी II के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

**हथियारों का कब्जा:** छात्रों को किसी भी हथियार (आग्नेयास्त्र, तलवार आदि) रखने की अनुमति नहीं है जिसका उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।

**परिणाम:** अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी III के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

**व्यक्तिगत मनोरंजन प्रणाली का कब्जा:** छात्रावास के कमरों के अंदर ऑडियो सिस्टम/स्पीकर रखना और उसका उपयोग करना निषिद्ध है। व्यक्तिगत टीवी, वीसीआर, वीसीडी/डीवीडी आदि का उपयोग भी सख्त वर्जित है।

**परिणाम:** अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी I के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

**छात्रावास के कमरे में खाना बनाना:** छात्रावास के कमरे में छात्रों द्वारा किसी भी पैमाने या तरीके से/विधि में खाना बनाना सख्त वर्जित है।  
रसोई के उपकरण - जैसे इंडक्शन हीटर, ओवन, स्टोव आदि को इस उल्लंघन के लिए सबूत के रूप में माना जाएगा।

**परिणाम:** उपकरण जब्त कर लिया जाएगा और इस तरह के कब्जे को **अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी I** के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

**आवासीय क्षेत्रों में क्रॉस-जेंडर प्रवेश:** जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लड़कों के छात्रावास के कमरों में लड़कियों की अनुमति नहीं है और किसी भी समय आवासीय क्षेत्र। इसी तरह, लड़कियों के छात्रावास और आवासीय क्षेत्रों के कमरों में लड़कों को किसी भी समय प्रवेश की अनुमति नहीं है। सभी अनुशासन प्रोटोकॉल के पालन के साथ क्रॉस-जेंडर पहुंच छात्रावासों के भूतल तक ही सीमित है।

**परिणाम:** अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी II और III के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

**चार.**

**धार्मिक प्रथाएं**

**धार्मिक प्रथाएं:** छात्रों के लिए धार्मिक प्रथाओं को केवल उनके आवंटित कमरों के भीतर ही अनुमति दी जाती है, अन्य निवासियों को परेशान किए बिना और छात्रावास की संपत्ति के किसी भी विरूपण के बिना (बिंदु 1 बी देखें)।

**अनधिकृत धार्मिक गतिविधियां:** छात्रावास के किसी अन्य क्षेत्र में अनधिकृत धार्मिक गतिविधियों का आयोजन या अभ्यास करना निषिद्ध है। ऐसे मामलों को **अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी I** के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है।

**पाँच.**

**आवासीय नियम**

**कमरे की जिम्मेदारी:** प्रत्येक छात्र अपने कमरे और छात्रावास परिसर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। किसी भी मुद्दे को छात्रों द्वारा शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

**बढ़ते मुद्दे:** यदि रखरखाव के मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, तो छात्रों को उन्हें वार्डन, ए-डोसा हॉस्टल या डीओएसए को रिपोर्ट करना चाहिए।

**रूम लॉकिंग:** सुरक्षा कारणों से, छात्रों को कक्षाओं, प्रयोगशाला के काम या किसी अन्य गतिविधि के लिए निकलते समय अपने कमरे बंद करने चाहिए।

**व्यक्तिगत संपत्ति:** छात्रावास प्राधिकरण छात्रों की व्यक्तिगत संपत्ति के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है, वे इसकी उचित सुरक्षा और सुरक्षित हिरासत के लिए जिम्मेदार हैं।

**आउटडोर खेल:** हॉस्टल के अंदर आउटडोर गेम (जैसे, क्रिकेट, फुटबॉल आदि) खेलना प्रतिबंधित है।

**इंडोर गेम्स:** हॉस्टल के निर्दिष्ट क्षेत्रों में टेबल टेनिस, कैरम आदि जैसे इनडोर खेलों की अनुमति है। बैडमिंटन और बास्केटबॉल केवल हॉस्टल सेंट्रम और इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही खेला जा सकता है।

**सजावट:** छात्रावास प्रशासन द्वारा पूर्व अनुमोदन के साथ ही छात्रावासों के निर्दिष्ट क्षेत्रों में सजावट की अनुमति है।

## **छ. जिम्मेदारियों**

**साथी निवासियों के प्रति चिंता:** यदि कोई रूममेट या पड़ोसी बिना किसी वैध कारण के 24 घंटे से अधिक समय तक परिसर से गायब है, या वह अजीब व्यवहार दिखा रहा है, जिसके लिए कोई किसी भी कारण से अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में आशंकित हो सकता है, तो यह अन्य छात्रों की जिम्मेदारी है कि वे तुरंत वार्डन को इसकी सूचना दें।

**आपात स्थिति की रिपोर्टिंग:** दुर्घटनाओं या आपात स्थिति के मामले में, छात्रों को तुरंत वार्डन को सूचित करना चाहिए। ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। जानबूझकर छिपाने वाली घटनाओं को गंभीरता के आधार पर श्रेणी II या III के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है (अनुलग्नक II देखें)।

**शोर का स्तर:** दूसरों को परेशान करने से बचने के लिए ध्वनि का स्तर कम बनाए रखें। रात 11:00 बजे से सुबह 7:00 बजे के बीच तेज संगीत या परेशान करने वाली आवाजें सख्त वर्जित हैं।

**विद्युत उपकरण:** उपयोग में न होने पर छात्रों को पंखे, लाइट और अन्य बिजली के उपकरण बंद कर देने चाहिए। उपयोग में न होने पर इन्हें आदर्श रूप से अनप्लग किया जाना चाहिए। संस्थान बिजली की वृद्धि के कारण व्यक्तिगत उपकरणों (उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि) को किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।

**जल संरक्षण:** उपयोग में न होने पर छात्रों को किसी भी टपकने वाले नल या शॉवर को बंद कर देना चाहिए।

**खाना बनाना:** छात्रावास के कमरों में खाना बनाना सख्त वर्जित है। अनुभाग 3 भी देखें।

**निषिद्ध उपकरण:** छात्रावास के कमरों में माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकटॉप, टोस्टर आदि जैसे बिजली के उपकरणों सहित छात्रों द्वारा खाना पकाने के किसी भी उपकरण को रखना सख्त वर्जित है। आग और बिजली के झटके के खतरों के कारण एयर कूलर, वॉटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, आयरन और अन्य गर्मी पैदा करने वाले उपकरणों का उपयोग भी प्रतिबंधित है।

**परिणाम:** उल्लंघनों को श्रेणी I के रूप में माना जाएगा (अनुलग्नक II देखें), और कमरे में पाए गए उपकरण को जब्त कर लिया जाएगा।

#### सात. अग्निशमन और सुरक्षा गार्ड

**आग के खतरे:** छात्रावास के कमरों में मोमबत्ती, अगरबत्ती और दीया जैसी वस्तुओं का उपयोग करते समय छात्रों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वे आग के खतरे हैं।

**सुरक्षा उपकरणों के साथ छेड़छाड़:** सुरक्षा उपकरणों (जैसे, अग्निशामक) के साथ छेड़छाड़ करना या खेलना एक गंभीर अपराध है और इससे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

**परिणाम:** मामले की गंभीरता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नियमावली के अनुसार श्रेणी II या III का उल्लंघन।

#### आठ. परिवहन

**परिवहन व्यवस्था:** छात्रावास/संस्थान व्यक्तिगत छात्रों के लिए परिवहन प्रदान नहीं करता है जब तक कि यह एक आपातकालीन स्थिति न हो। छात्रों को अपनी व्यवस्था खुद करनी चाहिए।

आपात स्थिति सहित चिकित्सा मामलों के लिए, संस्थान के चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन के आधार पर संस्थान एम्बुलेंस सेवा का उपयोग किया जा सकता है।

सभी गैर-चिकित्सा परिवहन आवश्यकताओं के लिए जो संस्थान के मानदंडों (जैसे, स्टेशन ड्रॉप, एयरपोर्ट ड्रॉप, आदि) के अनुसार अनुमेय हैं, एक छात्र यात्रा डेस्क से संपर्क कर सकता है।

#### नौ. मीडिया और सोशल मीडिया आचरण

छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग करें। वे सोशल मीडिया पर संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट नहीं कर सकते हैं या ऐसी किसी भी संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते हैं जो संभावित रूप से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के बारे में आपत्तिजनक सामग्री (सामग्रीओं) को प्रकाशित करने और साझा करने सहित फोन, टेक्स्ट, ईमेल या इंटरनेट फ़ोरम, ब्लॉग और सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम से संस्थान के किसी भी कर्मचारी/छात्र/संकाय सदस्य/अतिथि को धमकाना और/या उत्पीड़न सख्त वर्जित है।

इन उल्लंघनों के बारे में शिकायतें सीधे DoSA या A-DoSA के साथ उठाई जा सकती हैं।

**परिणाम:** मामले की गंभीरता के आधार पर अनुलग्नक II में परिभाषित श्रेणी II या III उल्लंघन।

#### दस. छात्रावास खाली करना

**सेमेस्टर के अंत में खाली करना:** प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, बीएस-एमएस छात्रों को अपने कमरे खाली करने होंगे और कमरे को कार्यवाहक को सौंपना होगा।

जो छात्र छुट्टियों के दौरान अपने कमरे बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें छात्र मामलों के डीन (डीओएसए) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसे मामलों में, छात्रावास के कमरे की फीस प्रचलित दर के अनुसार लगाई जा सकती है।

**पीएचडी / एकीकृत पीएचडी / शोध प्रबंध छात्रों के लिए अपवाद:** इन छात्रों को आम तौर पर छुट्टी के नियमों से छूट दी जाती है, लेकिन उन्हें अपनी थीसिस जमा करने के बाद अपने कमरे खाली करने होंगे।

## ग्यारह. पत्तियों का लाभ उठाना

**अनुपस्थिति के लिए अनुमोदन:** छात्रों को वार्डन से पूर्व अनुमोदन लेना होगा यदि वे सप्ताहांत, छुट्टियों के दौरान छात्रावास के बाहर रहना चाहते हैं। **यहां तक कि छात्रावास/परिसर से एक भी रात के लिए अनुपस्थिति के लिए वार्डन से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।**

**अनुपस्थिति के लिए छुट्टी:** एक रात या उससे अधिक की अनुपस्थिति के लिए छुट्टी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अनधिकृत अनुपस्थिति से अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी - श्रेणी I या II। ऐसी अनुपस्थिति की गंभीरता के आधार पर। आमतौर पर, सेमेस्टर के फिर से शुरू होने पर परिसर में देर से पहुंचना, या इसी तरह की मामूली अनुपस्थिति को श्रेणी I के मामले के लिए माना जाएगा। श्रेणी II के तहत एक अधिक लंबे, अस्वीकृत अनुपस्थिति पर विचार किया जाएगा।

**देर रात के दौरान पहुंचना/प्रस्थान:** यदि कोई छात्र देर से (रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच) परिसर में पहुंचने की उम्मीद करता है या ऐसे देर रात के घंटों के दौरान छात्रावास/परिसर से प्रस्थान करने का इरादा रखता है, तो एक लिखित या ईमेल वार्डन से अनुमोदन सुरक्षा डेस्क (मुख्य द्वार के साथ-साथ छात्रावास के प्रवेश द्वार) पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

## शैक्षणिक बनाम छात्रावास की छुट्टी:

१. इस बात पर निर्भर करते हुए कि छुट्टी की अवधि में शैक्षणिक गतिविधियां (कक्षाएं, परीक्षाएं, अनुसंधान आदि) हैं, एक छात्र को या तो अकादमिक अवकाश लेना पड़ता है (जिसमें छात्रावास छोड़ने की अनुमति भी शामिल है) या छात्रावास की छुट्टी लेनी पड़ती है।

२. **अकादमिक अवकाश:** यदि कोई छात्र छुट्टी के लिए आवेदन करता है, जिसके परिणामस्वरूप छुट्टी हुई कक्षाएं/परीक्षाएं/शोध कार्य या कोई अनिवार्य शैक्षणिक गतिविधियां होंगी, तो एक अकादमिक अवकाश फॉर्म भरना होगा। इस मामले में, छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी डीन/एसोसिएट डीन, अकादमिक मामलों का होगा। हालांकि, संबंधित छात्रावास के वार्डन को इस तरह के फॉर्म को अप्रेषित करने की आवश्यकता होती है - और छात्रावास कार्यालय में एक रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।

एक. सभी छात्रों के शैक्षणिक अवकाश का रिकॉर्ड अकादमिक मामलों के कार्यालय में रखा जाएगा।

दो. छात्रों को कार्यक्रम मैनुअल  
(बीएसएमएस/आईपीएचडी/पीएचडी/एमएस) में उल्लिखित छुट्टी  
नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। के लिए

उदाहरण, पत्तियों के प्रकार, पत्तियों का लागू कोटा, छुट्टी आवेदन का समर्थन करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज - सभी कार्यक्रम मैनुअल में उल्लिखित हैं।

३. **हॉस्टल लीव:** कोई भी लीव एप्लीकेशन जो उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, उसे केवल हॉस्टल लीव माना जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र सप्ताहांत, या छुट्टियों के दौरान एक छोटी यात्रा के लिए परिसर छोड़ना चाहता है, तो एक छात्र को छात्रावास अवकाश फॉर्म जमा करना होगा। इस मामले में छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकरण DoSA/A-DoSA है। संबंधित छात्रावास के वार्डन को इस तरह के फॉर्म को अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है - और एक रिकॉर्ड छात्रावास कार्यालय में रखा जाएगा।
  ४. इस दस्तावेज़ के अंत में दो प्रकार के अवकाश प्रपत्र पाए जा सकते हैं।
  ५. छुट्टी के आवेदन छुट्टी **की अवधि के प्रस्तावित प्रारंभ से कम से कम पांच दिन पहले** जमा किए जाने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक छात्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक प्रकार के अवकाश के स्पष्ट अनुमोदन के बाद ही छात्रावास छोड़ने की अनुमति दी जाती है।
  ६. यदि कोई छात्र छुट्टी की अवधि के लिए मेस छूट का लाभ उठाना चाहता है, तो छुट्टी आवेदन के साथ एक मेस छूट फॉर्म जमा करना होगा। छूट केवल स्वीकृत छुट्टियों के लिए स्वीकृत की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अनुभाग डी देखें। *यह नियम प्रचलित मेस अनुबंध के आधार पर परिवर्तन के अधीन है।*
- समयरेखा पर अपवाद:** व्यक्तिगत, चिकित्सा या पारिवारिक मामलों से जुड़ी आपात स्थिति में, एक छात्र सीधे वार्डन से संपर्क करके छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है। यह केवल छात्रावास अवकाश पर लागू होता है। वार्डन यह आकलन करेगा कि क्या स्थिति वास्तव में आपातकालीन अपवाद की गारंटी देती है। वार्डन को ऐसे अपवादों की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में, मेस छूट नहीं दी जा सकती है क्योंकि छूट केवल अग्रिम सूचना के लिए दी जा सकती है।

## बारह. अतिथि नीति

**अतिथि की अनुमति:** छात्रों को छात्रावास सहित परिसर में मेहमानों को रखने के लिए वार्डन से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

**अतिथि पंजीकरण:** मेहमानों को मुख्य सुरक्षा द्वार और छात्रावास सुरक्षा डेस्क पर पंजीकरण करना होगा। एक आगंतुक पास जारी किया जाएगा।

**दिन के मेहमान:** दिन के मेहमानों को केवल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच अनुमति दी जाती है। **अतिथि पहुंच:** मेहमानों को केवल हॉस्टल के सामान्य क्षेत्रों में अनुमति दी जाती है, जैसे कि लॉबी। छात्रावास के वार्डन की मंजूरी के बिना छात्रावास के आवासीय क्षेत्रों में उनकी अनुमति नहीं है।

**अतिथि आवास:** छात्र वार्डन की मंजूरी के साथ अपने कमरे में मेहमानों को समायोजित कर सकते हैं, लेकिन ठहरने की अवधि तीन दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुरुष

लड़कियों के हॉस्टल में मेहमानों की अनुमति नहीं है, और लड़कों के हॉस्टल में महिला मेहमानों की अनुमति नहीं है।

## तेरह. संपर्क बिंदु

अ. आपातकालीन:

१. स्वास्थ्य केंद्र: +916370704749 ([healthcenter@iiserbpr.ac.in](mailto:healthcenter@iiserbpr.ac.in))

आ. सामान्य:

एक. छात्र मामलों के डीन ([dosa@iiserbpr.ac.in](mailto:dosa@iiserbpr.ac.in))

दो. एसोसिएट डीन ([adosa@iiserbpr.ac.in](mailto:adosa@iiserbpr.ac.in))

तीन. छात्र मामलों के समन्वयक,

१. छात्र कल्याण ([csa\\_wel@iiserbpr.ac.in](mailto:csa_wel@iiserbpr.ac.in))

२. सांस्कृतिक गतिविधियाँ ([csa\\_cult@iiserbpr.ac.in](mailto:csa_cult@iiserbpr.ac.in))

३. खेल गतिविधियाँ ([csa\\_sports@iiserbpr.ac.in](mailto:csa_sports@iiserbpr.ac.in))

४. विज्ञान गतिविधियाँ ([csa\\_science@iiserbpr.ac.in](mailto:csa_science@iiserbpr.ac.in))

चार. वार्डन:

१. गर्ल्स हॉस्टल वार्डन ([warden\\_girls@iiserbpr.ac.in](mailto:warden_girls@iiserbpr.ac.in))

२. बॉयज़ हॉस्टल वार्डन ([warden\\_boys@iiserbpr.ac.in](mailto:warden_boys@iiserbpr.ac.in))

पाँच. अकादमिक मामलों के डीन ([doaa@iiserbpr.ac.in](mailto:doaa@iiserbpr.ac.in))

छः. छात्र मामलों का कार्यालय: [office\\_sa@iiserbpr.ac.in](mailto:office_sa@iiserbpr.ac.in)

सात. शैक्षणिक मामलों का कार्यालय (यूजी): [office\\_uq@iiserbpr.ac.in](mailto:office_uq@iiserbpr.ac.in)

आठ. शैक्षणिक मामलों का कार्यालय (पीजी): [office\\_pg@iiserbpr.ac.in](mailto:office_pg@iiserbpr.ac.in)

इ. शिकायत समितियाँ - अनुलग्नक I देखें

एक. आंतरिक शिकायत समिति  
(आईसीसी) [comm\\_icc@iiserbpr.ac.in](mailto:comm_icc@iiserbpr.ac.in)

दो. छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)  
[sgrc@iiserbpr.ac.in](mailto:sgrc@iiserbpr.ac.in)

तीन. रैगिंग रोधी समिति  
[arcr@iiserbpr.ac.in](mailto:arcr@iiserbpr.ac.in)

## आ. छात्रावास प्राधिकारियों के अधिकार

हॉस्टल प्राधिकरण: छात्र मामलों के डीन, छात्र मामलों के एसोसिएट डीन (छात्रावास), छात्रावास वार्डन, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए किसी अन्य प्राधिकरण।

एक. **स्पॉट चेक:** हॉस्टल के अधिकारी छात्रों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना हॉस्टल और कमरों की स्पॉट जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। छात्रों से इस संबंध में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की उम्मीद की जाती है।

दो. **प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर):** छात्रों को एफआईआर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है

छात्रावास नियमों का उल्लंघन करने के लिए केयरटेकर/गार्ड द्वारा संपर्क किया गया। हालांकि छात्रों के पास आरोपों से असहमत होने का विकल्प है, लेकिन उनके पास एफआईआर पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कोई विकल्प नहीं है।

तीन. **कमरों का परिवर्तन:** छात्रावास के अधिकारी यदि आवश्यक हो तो एक ही छात्रावास के भीतर एक छात्रावास निवासी के कमरे को या एक अलग छात्रावास में बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। छात्रों को वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास के कमरे बदलने की अनुमति नहीं है।

चार. **छात्रावास के कमरों का रखरखाव:** समय पर रखरखाव कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, वार्डन/केयरटेकर के निर्देश के तहत जब भी आवश्यक हो, सेवा कर्मियों को छात्रावास के कमरों में प्रवेश करना पड़ सकता है। हालांकि, छात्रों की निजता और गरिमा का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो एक छात्र को इस तरह के रखरखाव कार्य के दौरान कमरा खाली करने या एक अलग कमरे में स्थानांतरित करने के लिए कहा जा सकता है।

पाँच. छात्रावास प्राधिकारियों के अलावा अन्य संकाय या स्टाफ सदस्यों को वार्डन/सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना छात्रावासों के अंदर जाने की अनुमति नहीं है।

## इ. छात्रों के लिए परामर्श और चिकित्सा सेवाएं

एक आवासीय परिसर होने के नाते, आईआईएसईआर बरहमपुर में एक चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में पूरी तरह कार्यात्मक चिकित्सा सुविधा है। प्रवेश के समय, छात्रों को अपने चिकित्सा और मनोरोग इतिहास को लागू कानूनों के तहत अनुमत सीमा तक पर्याप्त विवरण के साथ घोषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह के विवरण गोपनीय रखे जाएंगे, और इसका उपयोग केवल चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक मामलों को संबोधित करने के लिए किया जाएगा।

आईआईएसईआर बरहमपुर मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्वास्थ्य कल्याण सहायता प्रदान करता है और छात्रों के लिए व्यावसायिक परामर्श सेवाएं। उपलब्ध नैदानिक सेवाओं में मूल्यांकन, समय सीमित मनोचिकित्सा, रेफरल और दवा प्रबंधन शामिल हैं। व्यक्तिगत नियुक्तियों के अलावा, तनाव में कमी, समय प्रबंधन, अध्ययन कौशल और सांस्कृतिक समायोजन जैसे विषयों पर आउटरीच कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। सभी नए छात्रों को पंजीकरण के दौरान मनोवैज्ञानिक जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। छात्र परामर्श से संबंधित सभी मामलों की सूचना मुख्य रूप से छात्र मामलों, छात्र कल्याण और डीओएसए के समन्वयक को दी जाती है।

## ई. छात्र मेस:

आईआईएसईआर बरहमपुर मेस सुविधा को छात्र मेस समिति (एसएमसी) नामक एक छात्र निकाय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह समिति छात्रावास में रहने वाले छात्रों के सभी बैचों के छात्र प्रतिनिधियों से बनी है। यह एसएमसी छात्र गतिविधि परिषद (एसएसी) के तहत एक छात्र निकाय है, और इसका नेतृत्व एसएमसी के निर्वाचित सचिव द्वारा किया जाता है। DoSA छात्रों को समिति चलाने में मदद करने के लिए एक या एक से अधिक संकाय सलाहकार नियुक्त कर सकता है। एसएमसी संस्थान मेस समिति (निदेशक द्वारा गठित) से जुड़ेगा जिसकी अध्यक्षता डीओएसए द्वारा की जाती है। मेस में आचार संहिता नीचे दी गई है। एक या अधिक का उल्लंघन

आचार संहिता को अनुशासनात्मक उल्लंघन माना जाता है और यह अनुशासन समिति के दायरे में आता है।

### **आईआईएसईआर बरहमपुर मेस के लिए आचार संहिता**

यह आचार संहिता संस्थान के परिसर के अंदर भोजनालय सुविधाओं के सभी व्यक्तियों द्वारा जिम्मेदार उपयोग से संबंधित है। इस संहिता के किसी भी उल्लंघन पर व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।

#### **एक. सामान्य दिशानिर्देश**

- हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्र, डिफ़ॉल्ट रूप से, मेस उपयोगकर्ता हैं।
- चूंकि मेस हॉस्टल सुविधा का एक हिस्सा है, इसलिए सभी उपयोगकर्ताओं को हॉस्टल के नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
- वास्तविक मेस का उपयोग (यानी, अनिवार्य/प्रति भोजन भुगतान आदि) प्रचलित मेस अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर भिन्न हो सकता है।

#### **दो. मेस एक्सेस और पात्रता**

- मेस की सुविधाएं केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और अनुमोदित मेहमानों के लिए उपलब्ध हैं।
- स्वीकृत अतिथियों में वैध आईडी कार्ड के साथ आईआईएसईआर बरहमपुर समुदाय के सदस्य और प्रति **सदस्य अधिकतम तीन अतिथि शामिल हैं।**
- तीन (दस मेहमानों तक) से अधिक के समूहों के लिए, छात्र मेस समिति (एसएमसी) के साथ कम से कम एक दिन पहले पूर्व बुकिंग की जानी चाहिए। एसएमसी ऐसे अनुरोधों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

#### **तीन. अतिथि नीति**

- एसएमसी प्रति भोजन अनुमत मेहमानों की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है।
- मेस कर्मचारी अनुमोदित सीमा से अधिक अतिरिक्त मेहमानों को सेवा देने से इनकार कर सकते हैं।
- अतिथि भुगतान को प्रचलित मेस नियमों का पालन करना चाहिए, जो समय के साथ परिवर्तन के अधीन हैं।

#### **चार. मेस का समय और आचरण**

- छात्रों को मेस के समय का सख्ती से पालन करना चाहिए।
- व्यक्तिगत छात्रों के लिए मेस भोजन परोसा जाता है। मेस परिसर में दो या दो से अधिक छात्रों के बीच भोजन साझा करना प्रतिबंधित है।
- छात्रों द्वारा मेस के बाहर मेस के बर्तन (जैसे, प्लेट, कटोरे, गिलास और कटलरी) ले जाने की अनुमति नहीं है।
- छात्रों को भोजन, पानी की प्रतीक्षा करते समय या इस्तेमाल की गई प्लेटों का निपटान करते समय व्यवस्थित तरीके से कतार में लगना चाहिए।
- इस्तेमाल किए गए चश्मे को पानी के फिल्टर, कूलर या निर्दिष्ट निपटान टब के अलावा किसी अन्य सतह पर रखना सख्त वर्जित है।

#### **पाँच. भोजन की खपत और टेकअवे**

- भोजन का सेवन केवल मेस परिसर में ही किया जाना है।

- लंच बॉक्स या टिफिन बॉक्स का उपयोग केवल उन पंजीकृत बोर्डर्स द्वारा किया जा सकता है जो बीमार हैं या जिनके पास वैध कारण हैं (जैसे, स्वास्थ्य, चोट, संगरोध आदि).
- मेस मैनेजर या केयरटेकर किसी छात्र को खाना पैक करने से रोक सकता है यदि कारण को अमान्य माना जाता है।

## छः. भोजन की बर्बादी

- अत्यधिक भोजन की बर्बादी को एक सामाजिक अपराध माना जाता है।
- एसएमसी या मेस केयरटेकर ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट ए-डोसा या डीओएसए को कर सकता है।
- यदि कोई छात्र बार-बार भोजन बर्बाद करते हुए पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में परिणाम हो सकता है श्रेणी I अनुशासनात्मक कार्रवाई (अनुलग्नक II देखें)।

## सात. प्रतिक्रिया और शिकायतें

- मेस हॉल में एक फीडबैक और शिकायत रजिस्टर उपलब्ध है।
- छात्र इस रजिस्टर में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
- ठेकेदार पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, ऐसी प्रत्येक शिकायत पर मेस प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

## आठ. रसोई का उपयोग

- केवल अधिकृत व्यक्तियों- संस्थान मेस समिति के सदस्य, एसएमसी सदस्य, वार्डन, या आधिकारिक मेस निरीक्षण समितियों को ही हॉस्टल मेस की रसोई में प्रवेश की अनुमति है।
- अन्य सभी मेस उपयोगकर्ताओं को रसोई में प्रवेश करने की सख्त मनाही है।

## नौ. निषिद्ध वस्तुएं और पोशाक

- छात्रों को मेस टेबल पर बैग, हैंडबैग, बैग या निजी सामान रखने की अनुमति नहीं है।
- मेस परिसर के अंदर लैब कोट या कोई अन्य सुरक्षात्मक लैब गियर पहनना सख्त वर्जित है।

## दस. छात्र और मेस स्टाफ के बीच संघर्ष

- छात्रों को सभी परिस्थितियों में मेस स्टाफ के साथ बहस या टकराव से बचना चाहिए।
- किसी भी शिकायत या चिंता को एसएमसी को निर्देशित किया जाना चाहिए।
- छात्रों को आवश्यकतानुसार किसी भी समय मेस मैनेजर या मेस केयरटेकर या सुरक्षा द्वारा अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा जा सकता है।
- उपरोक्त मेस नियमों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की श्रेणी I या श्रेणी II बन सकता है।

## उ. शिकायत कैसे दर्ज करें?

किसी भी उत्पीड़न, रैगिंग/धमकाने और शिकायतों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए स्पष्ट कदमों के लिए अनुलग्नक I (ए, बी, सी) देखें। किसी भी अन्य शिकायत के लिए छात्र सभी अनुशासन समितियों, वार्डन, ए-डोसा और डीओएसए के संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं।

## बचत:

भारत सरकार के निर्देशों और बोर्ड के निर्णयों के अलावा संविधि और एनआईटीएसईआर अधिनियम के प्रावधानों को अनुलग्नकों में उल्लिखित दिशानिर्देशों और विनियमों सहित उपरोक्त किसी भी दिशा-निर्देश और विनियमों पर

प्राथमिकता दी जाएगी, यदि यह लागू संविधि/अधिनियम/सरकार के अनुरूप नहीं है। भारत के निर्देश/बीओजी निर्णय। सरकार भारत का एचईआई पर लागू होने वाले निर्देश उन मामलों में भी लागू होंगे जहां उपरोक्त नियम मौन हैं।

## अनुलग्नक I: विनियमों के अनुसार कुछ समितियां

### अ. आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और यौन उत्पीड़न के खिलाफ नीति

संस्थान ने यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम, 2015 को लागू किया है, जो व्यापक रूप से यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है:

१. "यौन उपक्रमों के साथ एक अवांछित आचरण यदि यह होता है या जो लगातार होता है और जो एक शत्रुतापूर्ण और डराने वाला वातावरण बनाता है, अपमानित करता है या बनाता है या वास्तविक या धमकी देने वाले प्रतिकूल परिणामों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए गणना की जाती है और इसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक या सभी अवांछित कार्य या व्यवहार शामिल हैं (चाहे सीधे या निहितार्थ से), अर्थात्; -
  - अ. यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित शारीरिक, मौखिक या अशाब्दिक आचरण;
  - आ. यौन एहसान के लिए मांग या अनुरोध;
  - इ. यौन रंग की टिप्पणी करना
  - ई. शारीरिक संपर्क और अग्रिम; नहीं तो
  - उ. पोर्नोग्राफी दिखा रहा है"
२. निम्नलिखित परिस्थितियों में से कोई एक (या एक से अधिक या सभी), यदि यह होता है या संबंध में मौजूद है या किसी भी व्यवहार से जुड़ा हुआ है जिसमें स्पष्ट या निहित यौन उपक्रम हैं-
  - अ. यौन एहसान के लिए क्विड प्रो क्वो के रूप में तरजीही उपचार का निहित या स्पष्ट वादा;
  - आ. काम के संचालन में हानिकारक उपचार का निहित या स्पष्ट खतरा;
  - इ. संबंधित व्यक्ति की वर्तमान या भविष्य की स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट खतरा;
  - ई. एक डराने वाला आक्रामक या शत्रुतापूर्ण सीखने का माहौल बनाना;
  - उ. अपमानजनक उपचार से संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गरिमा या शारीरिक अखंडता को प्रभावित करने की संभावना है;

### यौन उत्पीड़न होता है, यदि कोई व्यक्ति:

- एक. किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक अंतरंगता के अवांछित कार्य के अधीन करता है, जैसे कि पकड़ना, ब्रश करना, छूना, चुटकी काटना, आदि।
- दो. किसी अन्य व्यक्ति से यौन एहसान के लिए एक अवांछित मांग या अनुरोध (चाहे प्रत्यक्ष या निहितार्थ से) करता है, और आगे इसे रोजगार/मजदूरी के भुगतान/वृद्धि/पदोन्नति आदि के लिए एक शर्त बनाता है।
- तीन. यौन अर्थों के साथ एक अवांछित टिप्पणी करता है, जैसे यौन रूप से स्पष्ट तारीफ/यौन के साथ जोर से चुटकुले सुनाना

इसके अलावा, लिंगवादी टिप्पणियां, आदि

चार. किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पर चित्रों/कार्टून/पिन-अप/कैलेंडर/स्क्रीन सेवर/किसी भी आपत्तिजनक लिखित सामग्री/अश्लील ईमेल, आदि के रूप में कोई भी यौन स्पष्ट दृश्य सामग्री दिखाता है।

पाँच. यौन प्रकृति के किसी भी अन्य अवांछित आचरण में संलग्न होता है, जो मौखिक हो सकता है, या यहां तक कि गैर-मौखिक भी हो सकता है, जैसे दूसरे व्यक्ति को असहज करने के लिए घूरना, आक्रामक इशारे करना, चुंबन की आवाज़ें आदि।

अक्सर इस तरह के व्यवहार को शर्म या भय या दोनों की भावना के कारण पीड़ित की ओर से इस तरह के व्यवहार की रिपोर्ट करने में झिझक के कारण दंडित नहीं किया जाता है। ऐसे किसी भी व्यवहार का विरोध करना जो एक व्यक्ति को अवांछित और अस्वीकार्य लगता है, महत्वपूर्ण है। आईआईएसईआर बरहमपुर में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किसी भी अवांछित व्यवहार के बारे में शिकायत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। आईसीसी की संरचना और कामकाज यूजीसी विनियम 2015 और यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम 2013 में निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

शिकायत प्रकोष्ठ के वर्तमान सदस्य हैं:

- पीठासीन अधिकारी (एक वरिष्ठ महिला संकाय सदस्य)
- सदस्य सचिव, एक महिला संकाय सदस्य
- सदस्य (एक महिला संकाय सदस्य)
- दो गैर-शिक्षण स्टाफ सदस्य
- गैर सरकारी संगठन का कोई सदस्य या यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति
- तीन छात्र नामांकित व्यक्ति (छात्रों से जुड़े मामलों के लिए)

यदि आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप यह कर सकते हैं:

- शर्म की भावना महसूस न करें। उत्पीड़क को बहुत स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको उसका व्यवहार अपमानजनक लगता है।
- इस उम्मीद में उत्पीड़न को नजरअंदाज न करें कि यह अपने आप बंद हो जाएगा। आगे आकर शिकायत करें।
- किसी ऐसे व्यक्ति से उत्पीड़न के बारे में बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। यह न केवल आपको ताकत देगा बल्कि समान परिस्थितियों में दूसरों को भी आगे आने और शिकायत करने में मदद करेगा।
- यौन उत्पीड़न की सभी घटनाओं का रिकॉर्ड एक नोटबुक में रखें। यदि आपको बाद में औपचारिक शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो यह रिकॉर्ड मददगार होगा।
- ईमेल के माध्यम से आंतरिक शिकायत समिति को शिकायतें प्रस्तुत की जा सकती हैं

[comm\\_icc@iiserbpr.ac.in](mailto:comm_icc@iiserbpr.ac.in)

ICC की भूमिका:

- यौन उत्पीड़न की शिकायत पर जांच प्राधिकरण के रूप में कार्य करना।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ितों और गवाहों को पीड़ित या भेदभाव नहीं किया जाता है

उनकी शिकायत के कारण।

- लिंग के मुद्दों पर संस्थान के कर्मचारियों, छात्रों और संकाय सदस्यों को संवेदनशील बनाने की दिशा में सक्रिय उपाय करना।

## आ. रैगिंग रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी और संस्थागत नीतियां

संस्थान की सभी प्रकार की रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी रूप में रैगिंग सख्त वर्जित है और इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है। किसी भी प्रकार की रैगिंग में किसी छात्र की संलिप्तता के कारण उसे संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है। राघवन समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय को दी गई सिफारिश के अनुसार रैगिंग का ब्यौरा निम्नलिखित है:

रैगिंग कोई भी कार्य है, जो व्यक्तिगत छात्र की गरिमा का उल्लंघन करता है या उसकी गरिमा का उल्लंघन करता है। रैगिंग एक संज्ञेय, गैर-जमानती, गैर-शमनीय अपराध है जिसमें एक वर्ष की कैद और जुर्माने से लेकर 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने तक की सजा हो सकती है। मोटे तौर पर, रैगिंग को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है जिसके लिए सजा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं:

एक. **मौखिक:** जहां एक वरिष्ठ एक जूनियर को अस्वीकार्य/व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देने, नृत्य करने, गाने आदि के लिए मजबूर करके मानसिक उत्पीड़न या असुविधा का कारण बनता है, तो यह जूनियर को रैगिंग के समान है। साइबर रैगिंग को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।

**सजा:** 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों।

दो. **गंभीर मौखिक रैगिंग:** जहां मानसिक उत्पीड़न या बेचैनी इस हद तक होती है कि यह जूनियर को कॉलेज से हटने के लिए मजबूर कर देती है।

**सजा:** जुर्माने के साथ 7 साल की कैद।

तीन. **शारीरिक:** जूनियर के प्रति सीनियर द्वारा कोई भी कार्य जो जूनियर को शारीरिक चोट पहुंचाता है, जैसे जूनियर को पीटना, उसे वस्तुओं से मारना आदि।

**सजा:** जुर्माने के साथ 7 साल की कैद।

चार. **सेक्सुअल रैगिंग:** जहां सीनियर जूनियर को एक ऐसा कार्य करने के लिए कहता है जो जूनियर की यौन गरिमा को नुकसान पहुंचाता है।

**सजा:** 7 साल का सश्रम कारावास और जुर्माना।

### **रैगिंग के लिए जुर्माना (संस्थान स्तर):**

यदि छात्र किसी अन्य छात्र द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के खिलाफ जांच में दोषी पाया जाता है, तो संस्थान उसे निष्कासित कर देगा।

कारावास के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी छात्र को उस शैक्षणिक संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा जिसमें वह उस समय के लिए अपनी पढ़ाई का मुकदमा चला रहा है, और उसे उस शैक्षणिक संस्थान में फिर से भर्ती नहीं किया जाएगा।

### **संस्थान एंटी-रैगिंग समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:**

रैगिंग-रोधी समिति का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 17 जून, 2009 के दिशा-निर्देश (एफ-1-16/2007 (सीपीपी-II)) के अनुसार किया गया है। इसकी निम्नलिखित रचना है:

- निदेशक (अध्यक्ष)
- डीन, अकादमिक मामले (सदस्य)
- डीन, छात्र मामले (सदस्य)
- रजिस्ट्रार (सदस्य)
- वार्डन (सदस्य)
- छात्र प्रतिनिधि (जैसा कि दिशानिर्देश द्वारा निर्दिष्ट है)
- माता-पिता के प्रतिनिधि (जैसा कि दिशानिर्देश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है)
- बाहरी सदस्य (जैसा कि दिशानिर्देश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है)
- एसोसिएट डीन, छात्र मामले (सदस्य और संयोजक)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्थान में एक **रैगिंग-रोधी दस्ता** भी है, जिसमें विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य शामिल हैं।

रैगिंग-रोधी समिति को शिकायतें ई-मेल [arcrc@iiserbpr.ac.in](mailto:arcrc@iiserbpr.ac.in) द्वारा प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके अलावा, एक छात्र राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन: 1800-180-5522 (24x7 टोल-फ्री) पर भी कॉल कर सकता है।

### **इ. छात्र शिकायत निवारण समिति**

एक स्थायी समिति - **छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)** उत्पीड़न, भेदभाव, दुर्व्यवहार आदि सहित छात्रों (पीएचडी सहित सभी कार्यक्रमों) की सभी शिकायतों/शिकायतों का समाधान करेगी। SGRC के कार्यक्षेत्रों की अधिक विस्तृत सूची इस प्रकार है:

- एक. ऐसी संस्था की घोषित प्रवेश नीति के तहत किसी भी छात्र को स्वीकार्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता के भुगतान में गैर-भुगतान या विलंब, या आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों, यदि कोई हो, के तहत;
- दो. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट कार्यक्रम से परे या आयोग द्वारा निर्धारित ऐसे कैलेंडर में परीक्षा आयोजित करने या परिणाम घोषित करने में संस्थान द्वारा देरी;

- तीन. विवरणिका में निर्धारित छात्र सुविधाएं प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफलता, या उस समय लागू कानून के किसी भी प्रावधान के तहत संस्थान द्वारा विस्तारित किया जाना आवश्यक है;
- चार. छात्रों के मूल्यांकन के लिए संस्था द्वारा अपनाई गई गैर-पारदर्शी या अनुचित प्रथाएं;
- पाँच. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों या विकलांग श्रेणियों के छात्रों के कथित भेदभाव की शिकायतें;
- छः. प्रवेश के समय किए गए वादे के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से इनकार करना या प्रदान करने की आवश्यकता है;
- सात. उत्पीड़न के मामलों के अलावा किसी छात्र का उत्पीड़न या उत्पीड़न, जिसके खिलाफ फिलहाल लागू किसी भी कानून के दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी है;
- आठ. संस्था के संविधियों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों या दिशानिर्देशों के विपरीत शुरू की गई कोई भी कार्रवाई।

### अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें?

- छात्र या तो ईमेल कर सकते हैं या अध्यक्ष, एसजीआरसी (sgrc@iiserbpr.ac.in) को एक लिखित पत्र जमा कर सकते हैं, आप अध्यक्ष के अलावा एसजीआरसी के कम से कम एक सदस्य को ईमेल/पत्र की प्रतिलिपि बनाना चुन सकते हैं।
- छात्र एसजीआरसी के किसी एक सदस्य को ईमेल या पत्र जमा कर सकते हैं ध्यान दें कि यौन उत्पीड़न और रैगिंग के लिए दो अलग-अलग समितियां हैं - *आंतरिक शिकायत समिति* ([comm\\_icc@iiserbpr.ac.in](mailto:comm_icc@iiserbpr.ac.in)) और *रैगिंग रोधी समिति* ([arcr@iiserbpr.ac.in](mailto:arcr@iiserbpr.ac.in))।

## अनुलग्नक II: छात्र अनुशासनहीनता, अनुशासन समितियों का कार्यकरण, और उनकी कार्रवाइयां (गैर-शैक्षणिक मुद्दों के लिए)

श्रेणी: ग्रेड I (अनुमोदन प्राधिकार: छात्र मामलों के डीन)		
गुंजाइश	कमेटी	अनुशंसित कार्रवाइयां
<p>सभी गैर-शैक्षणिक अपराध जैसे, मादक पेय पदार्थों का सेवन/नशीली दवाओं का सेवन/संस्थान में प्रवेश या नशे की हालत में छात्रावास परिसर/उपयोग दोपहिया वाहन और/या किसी भी प्रकार के मोटर वाहन/जुआ परिसर/छात्रावास में धूम्रपान, छात्रावास के कमरे में खाना पकाना, मामूली चोरी, छात्रावास के अन्य नियमों का पालन न करना, छात्रावास के अन्य सदस्यों के साथ अनियंत्रित या अनुचित व्यवहार आदि।</p> <p>(ये केवल उदाहरण हैं, संपूर्ण नहीं, छात्रावास प्रशासन किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेगा जो विशेष रूप से यहां शामिल नहीं हैं या ग्रेड- II या ग्रेड- III)</p>	<p>एक. ए-डोसा (अध्यक्ष) दो. सभी वार्डन तीन. ए-डोसा छात्र कल्याण चार. एस-एसडब्ल्यूएस/संबंधित के छात्रावास प्रतिनिधि छात्रावास पाँच. एआर/डीआर/सुपरिटेण्डेंट डेंट - छात्र मामले (संयोजक)</p>	<p>चेतावनी के रूप में स्ट्राइक पॉइंट प्रदान करें। तीन स्ट्राइक स्वचालित रूप से एक मामले को ग्रेड II में ले जाएगी। रु. 5000/- तक का जुर्माना मरम्मत/प्रतिस्थापन लागत की वसूली, यदि कोई हो। सावधानी जमा को जब्त करने की सिफारिश करें समुदाय-सेवा एक छात्र को आईआईएसईआर बरहमपुर का प्रतिनिधित्व करने या 1 वर्ष की अवधि के लिए जिम्मेदारी के किसी भी पद पर रहने से रोकना।</p> <p><i>(कोई एक या अधिक उपर्युक्त दंडात्मक कदमों की सिफारिश समिति द्वारा की जा सकती है)</i></p>

**श्रेणी: ग्रेड द्वितीय (अनुमोदन प्राधिकारी: निदेशक)**

गुंजाइश	कमेटी	अनुशंसित कार्रवाइयां
<p>ग्रेड I समिति द्वारा संदर्भित सभी 3 हड़ताल के मामले अनुशासनहीनता के सभी मामले छात्रावास/परिसर जो ग्रेड I में शामिल नहीं हैं, क्षेत्र या प्लेटफार्मों के दौरान इंटर-इंस्टीट्यूट इवेंट या संस्थानों में एक घटना (जो किसी अन्य परिसर में हो सकती है)।</p> <p>सोशल मीडिया कदाचार के सभी मामले।</p> <p>क्लबों और परिषदों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय में अनुशासनहीनता के सभी मामले (जैसे, चोरी, पुस्तकालय संपत्ति का जानबूझकर विनाश, पुस्तकालय कर्मचारियों का दुरुपयोग करना)।</p>	<p>एक. DoSA (अध्यक्ष) दो. ए-डोसा तीन. डीओए चार. ए-डीओए पाँच. संबंधित छात्रावास के वार्डन <i>(छात्रावास/परिसर के मुद्दों के लिए)</i> छः. संबंधित विभाग के एचओडी / प्रशिक्षक / पर्यवेक्षक <i>(प्रयोगशाला से संबंधित मुद्दों के लिए)</i> सात. क्लब के संकाय सलाहकार <i>(छात्र गतिविधि से संबंधित मुद्दों के लिए)</i> आठ. एसएसी अध्यक्ष <i>(छात्र गतिविधि से संबंधित मुद्दों के लिए)</i> नौ. निर्वाचित एसएसी सदस्य में से एक (जैसा कि मामले की आवश्यकता हो सकती है) दस. एआर/डीआर/अधीक्षक - छात्र मामले (संयोजक)</p>	<p>एक. रु.5000/- से अधिक का जुर्माना दो. मरम्मत/प्रतिस्थापन लागत की वसूली, जैसा कि शामिल है, तीन. 15 दिनों तक की अवधि के लिए निलंबन चार. किसी भी अवधि के लिए प्रयोगशाला सुविधा (या किसी अन्य बुनियादी ढांचे) से छात्र को रोकना पाँच. किसी छात्र को आईआईएसईआर बरहामपुर का प्रतिनिधित्व करने या 1 वर्ष से अधिक समय तक जिम्मेदारी के किसी भी पद पर रहने से रोककर शेष अवधि तक छात्र का कार्यकाल छः. जीआई में उल्लिखित किसी भी कार्रवाई की सिफारिश समिति द्वारा भी की जा सकती है</p> <p><i>(कोई एक या अधिक उपर्युक्त दंडात्मक कदमों की सिफारिश समिति द्वारा की जा सकती है)</i></p>

**श्रेणी: ग्रेड III (अनुमोदन प्राधिकारी: निदेशक)**

गुंजाइश	कमेटी	अनुशंसित कार्रवाइयां
<p>प्रमुख गैर-शैक्षणिक अनुशासनहीनता जैसे, बर्बरता, संस्थान की संपत्ति को नष्ट करना, शारीरिक झगड़े और झगड़े, किसी भी तरह से छात्रावास के अन्य सदस्यों को धमकाना या दुर्व्यवहार या परेशान करना (भौतिक या ऑनलाइन), ड्रग्स या हथियारों सहित अन्य अवैध वस्तुओं का कब्जा, अश्लील कृत्य।</p> <p>ग्रेड II समिति से अनुशंसित।</p> <p>ग्रेड II का दोहराव अपराध।</p> <p>ग्रेड I और ग्रेड II के तहत कवर नहीं की गई कोई भी चीज़</p> <p>किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक सजा का पालन न करना।</p> <p>कोई अन्य मामला जो छात्रावास प्रशासन द्वारा तय किए गए ग्रेड I या ग्रेड II या ग्रेड III दोनों में शामिल नहीं है।</p>	<p>एक. DoSA (अध्यक्ष)  दो. ए-डोसा  तीन. डीओए  चार. ए-डीओए  पाँच. संकाय 1 (एससी/एसटी या ओबीएस प्रतिनिधि) - अगर जरूरत हो  छः. संकाय 2 (एक वरिष्ठ संकाय)  सात. निर्वाचित लोगों में से एक एसएसी सदस्य (जैसा कि मामले की आवश्यकता हो सकती है)  आठ. एआर/डीआर/सुपरिंटेंडेंट एनटी - छात्र मामले (संयोजक)</p>	<p>ग्रेड I और ग्रेड II में उल्लिखित कार्यों के अलावा, निम्नलिखित कार्यों की सिफारिश की जा सकती है:</p> <p>एक. 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निलंबन-1 वर्ष तक।  दो. निष्कासन  तीन. जंग लगना  चार. चरित्र रोल के लिए प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करें</p> <p><i>(उपर्युक्त दंडात्मक कदमों में से कोई एक या अधिक समिति द्वारा सिफारिश की जा सकती है)</i></p>

### हड़ताल नियम:

एक छात्र को स्थापित नियमों के अनुसार किसी भी अतिरिक्त कार्रवाई के साथ-साथ उचित समझे जाने वाले अपराधों के लिए ग्रेड I, अनुशासन समिति द्वारा स्ट्राइक I, स्ट्राइक II, या स्ट्राइक III **जारी किया जा सकता** है। ये हमले औपचारिक चेतावनी के रूप में काम करते हैं। **तीन हमलों** का संचय स्वचालित रूप से मामले को **ग्रेड II अनुशासन समिति** तक बढ़ा देगा। भविष्य की किसी भी अनुशासनात्मक घटनाओं के मूल्यांकन में इन चेतावनियों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। अनुमोदन करने वाला प्राधिकरण हड़ताल, अतिरिक्त दंड और किसी भी बाद की कार्रवाई पर निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, विशेष रूप से बार-बार उल्लंघन के मामलों में।

### समिति की कार्यवाही के लिए कोरम:

(डिस्को: अनुशासनात्मक समिति)

ग्रेड I डिस्को	कम से कम एक वार्डन (संबंधित छात्रावास के), एक छात्रावास प्रतिनिधि (संबंधित छात्रावास के), संयोजक और अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य।
ग्रेड II डिस्को	कम से कम एक वार्डन (संबंधित छात्रावास के), संयोजक और अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य।
ग्रेड III डिस्को	पूरी समिति। किसी सदस्य की अनुपलब्धता के मामले में, अध्यक्ष के अनुमोदन से अनुपस्थित व्यक्ति द्वारा एक कार्यवाहक प्रतिस्थापन को नामित किया जा सकता है।

### अनुशासन समिति का सामान्य दृष्टिकोण और अन्य शर्तें:

एक छात्र के खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जा सकती है औपचारिक शिकायत प्राप्त करने के बाद या किसी छात्र को अधिनियम में या परिस्थितिजन्य परिदृश्य में पकड़कर DoSA/A-DoSA/वार्डन। प्राप्त शिकायतों के आधार पर आवश्यक जांच करने के लिए एक अनुशासनात्मक समिति (ग्रेड I/II/III) की आवश्यकता होगी।

सजा तभी दी जाएगी जब समिति सबूतों से संतुष्ट हो और आश्वस्त हो जाए कि अपराध संबंधित छात्र द्वारा किया गया था।

समिति द्वारा एक अपराधी को परामर्श देने और कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे जो दंडात्मक की तुलना में प्रकृति में अधिक सुधारात्मक होंगे, जहां भी संभव हो।

**समयरेखा:** सभी अनुशासनात्मक समिति की कार्यवाही एक महीने के भीतर की जानी चाहिए।

### एक समिति द्वारा अनुशासित अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील:

छात्रों को सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार है। इस तरह की अपील को प्राधिकरण के अगले उच्च अधिकारी को संबोधित करने की आवश्यकता होती है जिसने अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंड को मंजूरी दी हो। इस प्रकार, ग्रेड I की सजा, छात्रों को निदेशक से अपील करने की आवश्यकता है।

ग्रेड II और III के लिए, छात्रों को अध्यक्ष-सीनेट में अपील करने की आवश्यकता होती है। अंतिम निर्णय अध्यक्ष-सीनेट द्वारा लिया जाएगा।

### कुछ सामान्य छात्रावास/परिसर कदाचार और संबंधित मौद्रिक दंड:

क्रम नहीं।	अपमान	जुर्माना (INR)	बार-बार अपराध करने पर जुर्माना
1	अनधिकृत का उपयोग छात्रावास के कमरे में बिजली के उपकरण	500/-	हड़ताल के नियमों के अनुसार
2	कमरे को गंदा रखना	500/-	हड़ताल के नियमों के अनुसार
3	कमरे या छात्रावास की संपत्ति का विरूपण या टूटना	न्यूनतम INR 2000/- या मरम्मत/प्रतिस्थापन की वास्तविक लागत	हड़ताल के नियमों के अनुसार
4	छात्रावास के फर्नीचर सहित सामान्य उपयोग की वस्तुओं को गुम करना/विस्थापित करना	500/-	हड़ताल के नियमों के अनुसार
5	छात्रावास परिसर के भीतर कुत्तों/बिल्लियों/गायों/बंदरों या किसी अन्य पालतू जानवरों को खाना खिलाना या रखना	500/-	हड़ताल के नियमों के अनुसार
6	अग्नि-सुरक्षा और अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ छेड़छाड़	5,000/-	हड़ताल के नियमों के अनुसार

### लगाए गए जुर्माने का भुगतान:

सभी जुर्माने की राशि संस्थान के नाम पर अलग से खाते में एकत्र की जानी है। भुगतान एसबीआई आई-कलेक्ट पोर्टल के माध्यम से या निर्णय पत्र में निर्दिष्ट के रूप में किया जाना होगा। इस खाते में धनराशि का उपयोग छात्र प्रतिनिधियों के परामर्श से डीओएसए द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कल्याणकारी गतिविधियों द्वारा किया जाएगा। इस निधि के उपयोग के लिए इन दिशा-निर्देशों को निदेशक द्वारा अनुमोदित करना होगा।

----- दस्तावेज़ का अंत-----

**खंडन: जहाँ भी हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में कोई विरोध हो, वहाँ अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।**